न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 178/2025

नानची देवी बनाम नीना जैन वगै0

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

1. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2
2. श्री चन्दन सिंह वकील अप्रार्थीया/वादीया

निर्णय दिनांक :– 28.11.2025

प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2166 रकबा 2.8451 हेक्टेयर वाकै ग्राम अगरपुरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजी वादिया प्रतिवादी सं0 4 ल0 10 की पुश्तैनी आराजी को विक्रय कर खरीद की गई है जिसमें पक्षकारो के हिस्से वाद के मद नंबर 4 में अंकित किये गये है। आराजी खसरा नंबर 2166 रकबा 2.8451 हेक्टेयर वाकै ग्राम अगरपुरा के पूर्व में खातेदार गिरवरसिंह, विक्रमसिंह पुत्रान पृथ्वीसिंह व प्रेमकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी जोबनेर थे तथा उनका दर्ज 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20/12/2007 को प्रतिवादी सं0 1 व मोहनी देवी पत्नि नानगराम जाट निवासी आसलपुर ने खरीद किया था तथा मोहनीदेवी ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13/7/22 को प्रतिवादी सं0 1 को बेचान कर दी गई। विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 11 मोहरीदेवी का 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा मोहरी देवी के भी अपना उक्त 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10/12/2007 को प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में सम्पादित करा दिया था। प्रतिवादी सं0 1 व 2 एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जो वाद वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह सम्पूर्ण आराजी मोहरीदेवी की होना कथन कर सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी वादिया व प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना वाद में चाही गई। जबकि विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की आराजी पृथ्क व्यक्तियो के नाम दर्ज रही है। वादिया उक्त 1/2 हिस्से को किस आधार पर अपनी होना जाहिर कर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है वाद में स्पष्ट. नहीं है और ना ही वादिया को इस प्रकार का वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वादिया का वाद विधि विरूद्ध होने से आदेश 7 रूल 11 जा०दी० के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा उक्त वाद बेचान पत्र दिनांक 10/12/2007 को चुनौती देते हुये प्रस्तुत किया है जो बेचान पत्र पंजीकृत कराये जाने के लगभग 18 वर्षों के पश्चात प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर होने से वादिया का वाद मियाद के बिन्दु पर भी खारिज

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद विधि विरूद्ध होने से आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल वादीया अधिवक्ता को दिलायी गयी, जिसका अप्रार्थीया/वादीया के अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत नकर सीधी बहस करना जाहिर किया जिस पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एवं वाद का पूर्णरूपेण अवलोकन किया गया ।

उभय पक्षकारान की बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ह0ओ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी मे वर्णित तथ्यो एवं वाद के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादीया द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है, जिसमें खसरा संख्या 2166 रकबा 2.8451 हेक्टेयर वाकै ग्राम अगरपुरा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 11 को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है। तथा मोहरी द्वारा प्रार्थीयागण/प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के हक में किये गये बेचान शून्य घोषित करना चाहा है। पूर्व में खातेदार गिरवरसिंह, विक्रयसिंह पुत्रान पृथ्वीसिंह व प्रेमकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी जोबनेर थे तथा उनका दर्ज 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 व मोहनी देवी पत्नि नानगराम जाट निवासी आसलपुर ने खरीद किया था तथा मोहनीदेवी ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी सं० 1 को बेचान कर दी गई। विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 11 मोहरीदेवी का 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा जिसे प्रतिवादी सं0 11 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में सम्पादित करा दिया था। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 2166 रकबा 2.8451 हेक्टेयर वाकै ग्राम अगरपुरा की सम्पूर्ण आराजीयात अप्रार्थीया/वादीया पुश्तैनी आराजीयात नहीं है तथा ना ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय में निहित है। वादीया ने अपने वाद मे जो अनुतोष चाहा है उक्त अनुतोष विधि विरूद्ध है एंव वाद राजस्व न्यायालय की सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः प्रतिवादी नंबर 1 लगा0 3 का आवेदन पत्र ह0ओ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने एंव क्षेत्राधिकार के अभाव मे वाद ह0ओ0 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा [illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner